To

The Chairman,

National Green Tribunal,

Faridkot Corpernicus Marg, New Delhi -110 001

Subject : Regarding illegal mining at war footing in an unscientific manner at Som Bhadra River (Swan river) in District Una, of HP – Inquiry thereof – Reminder.

OATH COMMISSIONER
Jyoti Kiran
Sr. No. 1179
Date 13/05/21
Time 1:05 P.M.
UNA (H.P.)

Kindly refer to my complaint on the above subject bearing No.57/2021 already transmitted to the Hon'ble Tribunal.(copy of complaint and annexures thereof are again submitted herewith for ready reference.

It is humbly submitted that the Tribunal has taken cognizance on the complaint and an order was passed by the Tribunal on 2.3.2021 in original application No.57/2021 by a Bench of the Coram of Hon'ble Mr. Justice Adarsh Kumar Goel, Chairperson, Hon'ble Mr. Justice Sheo Kumar Singh, Judicial Member Hon'ble Dr.Nagin

Scanned with CamScanner

Nanda, Expert member , whereby Secretary, Environment, HP, the State PCB and the District Magistrate, Una were directed to verify the facts and take further steps in the matter in terms of above order of the Tribunal following due process law. Further an independent five members committee headed by justice Jasbir Singh, former Judge of Punjab and Haryana High Court and others was also constituted to look into the matter and report.

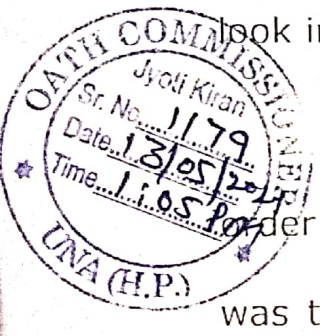

In this regard, it is submitted that despite passing above order and constituting committee in the matter, no concrete action was taken by the local Administration including local police of district Una which is under the influence of the local politicians and the Sand Mining Mafia. In other words the entire complaint has been rendered infructuous at the hands of local politicians, administration and police of district Una.

Needless to emphasize that after moving this complaint, the mining in the Swan River has been increased hundred times which has caused loss not only to the channelization work already done by the Government to the tune of about Rs. 1300 crores but has also caused loss to the bridges leading to loss of public funds/state revenue . It has also caused loss to the water level, causing great pollution in the

Scanned with CamScanner

area and threat to peaceful atmosphere of green state of Himachal Pradesh besides to the bad condition of the roads.

An affidavit is also attached.

It is therefore, humbly prayed that legal action may kindly be taken into the matter immediately to save the loss of public funds and other surrounding loss, referred to above with further prayer to take action against the local administration including the police of district Una, who has rendered the order of the Tribunal as well as complaint , as infructuous. It is also prayed that the matter may kindly be made time bound to the local administration and police of district Una, and special report be called into the matter for record in the administration of justice.

Complainant.

Dated:

Scanned with CamScanner

Affidavit

I, Amandeep son of Sh. Ashok Kumar, aged 35 years, r/o village Panjawar, Tehsil Haroli, District Una,HP, do hereby solemnly affirm and declare as under ;-

1. That the Tribunal has taken cognizance on the complaint and an order was passed by the Tribunal on 2.3.2021 in original application No.57/2021 by a Bench of the Coram of Hon'ble Mr. Justice Adarsh Kumar Goel, Chairperson, Hon'ble Mr. Justice Sheo Kumar Singh, Judicial Member Hon'ble Dr.Nagin Nanda, Expert member , whereby Secretary, Environment, HP, the State PCB and the District Magistrate, Una were directed to verify the facts and take further steps in the matter in terms of above order of the Tribunal following due process law. Further an independent five members committee headed by justice Jasbir Singh, former Judge of Punjab and Haryana High Court and others was also constituted to look into the matter and report.

2. That despite passing above order and constituting committee in the matter, no concrete action was taken by the

Scanned with CamScanner

local Administration including local police of district Una which is under the influence of the local politicians and the Sand Mining Mafia. In other words the entire complaint has been rendered infructuous at the hands of local politicians, administration and police of district Una.

3. That needless to emphasize that after moving this complaint, the mining in the Swan River has been increased hundred times which has caused loss not only to the channelization work already done by the Government to the tune of about Rs. 1300 crores but has also caused loss to the bridges leading to loss of public funds/state revenue . It has also caused loss to the water level, causing great pollution in the area and threat to peaceful atmosphere of green state of Himachal Pradesh besides to the bad condition of the roads.

4. That the annexed complaint and annexures as well as reminder , have been drafted and collected at my instance which is read over by me and after understanding its contents and accepting it as correct, I put my signatures over it at my own.

Place: Una

Dated:

Deponent

OATH COMMISSIONER
Jyoti Kiran
Sr. No. 1179
Date 13/5/21
Time 1:05 pm
UNA (H.P.)

Scanned with CamScanner

OATH COMMISSIONER
Jyoti Kiran
Sr. No. 1179
Date 13/05/21
Time 1:05 PM
UNA (H.P.)

I, the abovenamed deponent do hereby solemnly affirm and verify that the contents of the complaint and reminder are correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein.

Place: Una

Deponent

Dated:

Certified That Sh. Amandeep Mankotia
Deponent made a declaration on oath
before me read over explained
admitted correct, identified by Sh.
Self On 13/05/2021

ATTESTED
JYOTI KIRAN
Advocate-cum-
Oath Commissioner
Distt. Courts Una (H.P.)

Scanned with CamScanner

चंदपुर में मिलकीयती भूमि पर अवैध खनन

टाहलीवाल : चंदपुर में मिलकीयती भूमि पर किया गया खनन, (मध्य) मिलकीयती भूमि पर बिना अनुमति खनन करता पीला पंजा तथा (दाएं) खनन करके लगाए गए ढेर।

बाथू निवासी ने 3 लोगों के खिलाफ पुलिस से की शिकायत

टाहलीवाल, 11 जुलाई (गौतम): हरोली क्षेत्र के अंतर्गत गांव चंदपुर में मिलकीयती भूमि पर बिना अनुमति अवैध खनन करने का मामला सामने आया है। बाथू निवासी पवन ठाकुर ने डी.सी. ऊना, पुलिस अधीक्षक ऊना, खनिज अधिकारी ऊना, वन अधिकारी ऊना, एस.डी.एम. हरोली व चेयरमैन ग्रीन ट्रिब्यूनल शिमला सहित संबंधित विभागों को इस संबंध में चंदपुर निवासी 3 लोगों के खिलाफ लिखित में शिकायत दी है। पवन ठाकुर ने शिकायत में कहा है कि चंदपुर में उनकी मिलकीयती भूमि है, जिसमें खैर, शीशम और अन्य जंगली पेड़ लगे हुए हैं।

5-6 एकड़ जमीन को खनन करके किया बर्बाद

चंदपुर के कुछ लोगों ने उनकी बगैर अनुमति उसमें जे.सी.बी. व पोकलेन मशीनों से खनन करके पत्थरों के सैकड़ों टिप्पर व ट्रैक्टर ट्रालियां स्वां नदी चैनेलाइजेशन पेखुबेला व बसाल के चल रहे कार्य में बेच दिए हैं। उनकी 5-6 एकड़ जमीन को खनन करके बर्बाद कर दिया गया है जिस कारण उस पर लगे बहुमूल्य पेड़ भी नष्ट हो गए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों से शीघ्र इस मामले की जांच की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि जिन खनन माफियाओं ने मिलकीयती भूमि पर मेरी बिना अनुमति खनन किया है उन पर शीघ्र इस संबंध में कार्रवाई की जाए और नुक्सान की भरपाई की जाए।

"चंदपुर में मिलकीयती भूमि पर बिना अनुमति अवैध माइनिंग करने की शिकायत आई है। शीघ्र मौके का निरीक्षण करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

– धरमजीत सिंह, माइनिंग अधिकारी, ऊना

इस संबंध में अभी शिकायत मेरे पास नहीं पहुंची है। आज मैं कार्यालय में नहीं था। अगर शिकायत की गई है तो शीघ्र इसकी जांच करवाई जाएगी।

– गौरव चौधरी, एस.डी.एम., हरोली

इस संबंध में अभी मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। अगर अवैध माइनिंग की शिकायत मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

– धनराज सिंह, डी.एस.पी., हरोली

Scanned with CamScanner

स्वां का सीना छलनी कर रहीं पोकलेन मशीनें

> यदि ऐसा है तो कल सुबह मौके पर अधिकारियों को भेजकर खननकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
> – परमजीत सिंह, जिला खनन अधिकारी

जोल : पोकलेन के जरिए स्वां से मैटीरियल उठाते टिप्पर। उखाड़ी गई जुगाड़ू पुल की पाइपें तथा पानी में फंसी गाड़ी व (दाएं) उखाड़ी गई पाइप तथा स्वां नदी के बहते जल के बीच ...

स्वां के बीच आर-पार जाने के लिए बनाए जुगाड़ू पुल भी उखाड़े

जोल, 8 जुलाई (नरेन्द्र): खनन से स्वां क्षेत्र की तस्वीर बिगाड़ी जा रही है। बरसात शुरू होने से पहले ही स्वां के बीच आर-पार जाने के लिए बनाए गए जुगाड़ू पुलों को भी उखाड़ दिया गया है।

हालांकि इन्हें उखाड़ने वाले क्रशर प्रबंधकों का कहना है कि उन्होंने स्वां नदी के बीच लोगों की सुविधा के लिए भूमिगत पाइप डाले थे और अब बरसात में ये बह जाएंगे इसलिए इन्हें उखाड़ा गया है जबकि दूसरी तरफ हर रोज अस्थायी पुलों के जरिए आर-पार जाने वाले लोगों का आरोप है कि इन पाइपों को उखाड़ने की आड़ में खनन सामग्री को उठाया जा रहा है। नियमों के तहत स्वां नदी के तट से कोई भी सामग्री नहीं उठाई जा सकती है।

नहीं कर रहे अवैध खनन

दूसरी तरफ यहां पोकलेन मशीन लगाने वाले क्रशर प्रबंधकों का कहना है कि उन्होंने अस्थायी पुल बनाया था। चूंकि बरसात में अब पाइपें बह जाएंगी इसलिए इन्हें यहां से हटाया गया है। वे किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं कर रहे हैं।

विभाग से की कड़ी कार्रवाई की मांग

सोमवार को चुरुड़ु के निकट स्वां क्षेत्र में मशीनों के जरिए पूरे क्षेत्र में जमकर खनन कार्य किया गया। इसको लेकर कुछ लोगों की तकरार भी हुई, बावजूद इसके यह क्रम लगातार जारी रहा। लोहारली के अजय, खड्ड के नरेश, स्थानीय निवासी बलबीर, सुशील, जितेंद्र, ओंकार, केसर, केहर व सुनील सहित कई अन्य ग्रामीणों का कहना है कि खनन की वजह से न केवल उनके जुगाड़ पुल हटा दिए गए हैं बल्कि जगह-जगह गड्ढे बनाकर स्वां नदी को बदसूरत बना दिया गया है। लोगों ने विभाग से इस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

जोल : यह है स्वां नदी का हाल। खनन के चलते नदी के बीच बनाए गए बड़े-बड़े गड्ढे और उनमें भरा पानी।

खनन की वजह से आवाजाही हुई मुश्किल

जोल : उखड़े जुगाड़ू पुल तो कुछ इस कदर स्वां नदी पार करने को मजबूर हुए स्थानीय लोग।

चुरुड़ु से लोहारली और भैरा से पजावर की तरफ स्वां नदी के तट पर जगह-जगह लोगों ने आर-पार जाने के लिए जुगाड़ पुल बना रखे हैं। हर रोज असंख्य लोग इन्हीं के जरिए आर-पार जाते हैं लेकिन नदी के बीच जे.सी.बी. और पोकलेन मशीनों के जरिए हो रहे खनन की वजह से आवाजाही मुश्किल हो गई है।

न केवल पाइपों को उखाड़ दिया गया है बल्कि जो सूखे क्षेत्र थे उनसे भी मैटीरियल उखाड़कर बड़े-बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं।

Scanned with CamScanner

कांगड़ में पंचायत प्रतिनिधि हुए लामबंद

स्वां में मशीनों से हो रहा अवैध खनन रोका, जिलाधीश सहित प्रशासन को दिया शिकायत पत्र

हरोली, 25 जून (दत्ता): विधानसभा हरोली में हो रहे खुलेआम अवैध खनन का उदाहरण गांव कांगड़ में उस समय देखने को मिला जब स्थानीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने स्वां क्षेत्र में मशीनों सहित किए जा रहे अवैध खनन को रोका। पंचायत प्रतिनिधियों ने इसकी लिखित रूप से शिकायत जिलाधीश सहित सम्बन्धित विभाग व अन्य सम्बन्धित विभागों को की है। ग्राम पंचायत की प्रधान शशि रानी ने बताया कि स्थानीय लोगों की ओर से पंचायत को लिखित रूप से शिकायत करते हुए बताया कि गांव के स्वां क्षेत्र के तटबंध के नजदीक व सीलिंग रकबे से अवैध रूप से खनन किया जा रहा है जिसमें जे.सी.बी. से टिप्पर सहित ट्रैक्टर-ट्राली भरे जा रहे हैं। प्रधान ने बताया कि जब पंचायत को शिकायत पत्र मिला तब मंगलवार को उन्होंने पंचायत सदस्यों के साथ मौके का मुआयना किया। उन्हें मौके पर जे.सी.बी. खनन करते हुए मिली जिससे टिप्पर व ट्रैक्टर-ट्राली में रेत भरा जा रहा था। इस अवसर पर गांव के पूर्व प्रधान विनोद कुमार भी मौजूद थे। प्रधान शशि रानी ने बताया कि उन्होंने इस बारे में जिलाधीश ऊना, जिला माईनिंग विभाग, बी.डी.ओ., हरोली थाना सहित अन्य सम्बन्धित विभागों को शिकायत पत्र सौंपा है। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों में अनीता देवी, मंजीत देवी, गुरदेई, किरना देवी, महिंदरपाल, हरमेश चंद, करनैल सिंह, विजय कुमार, रविंद्र कुमार, मंगत राम, शांति स्वरूप, तिलक राज सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे।

हरोली : हरोली के गांव कांगड़ में हो रहे अवैध खनन को मौके पर जाकर रोकते हुए स्थानीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधि व अन्य। (दत्ता)

हरोली के गांव कांगड़ में पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से स्वां क्षेत्र में अवैध खनन करते हुए जे.सी.बी. पकड़ी है। इससे साफ है कि ऐसे खनन करने वाले लोग सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अपने कार्यों में जुटे हुए हैं।

इस बारे में जिला माइनिंग अधिकारी परमजीत सिंह ने कहा कि वह पिछले कुछ दिन से स्वस्थ न होने के कारण छुट्टी पर हैं। उन्हें फिलहाल मामले की कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी मिलती है, उस पर तुरन्त कार्रवाई की जाएगी।

हरकत में आई पुलिस

स्वां क्षेत्र से पकड़ी 1 जे.सी.बी. व 2 ट्रैक्टर

हरोली, 25 जून (दत्ता): पुलिस थाना हरोली के प्रभारी रमन कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम ने स्वां क्षेत्र में अवैध रूप से खनन करने पर 1 जे.सी.बी. सहित 2 ट्रैक्टर ट्राली चालकों को धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर शाम स्थानीय ग्रामीणों की ओर से पुलिस को सूचित किया गया कि स्वां क्षेत्र में जे.सी.बी. से अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने स्वां क्षेत्र में दबिश दी। मौके पर 1 जे.सी.बी. व 2 ट्रैक्टर-ट्राली चालक पकड़े गए। इस अवसर पर स्थानीय लोग मौजूद थे।

एस.एच.ओ. रमन कुमार ने बताया कि उन्हें जे.सी.बी. से अवैध खनन की सूचना मिली तो उन्होंने टीम सहित मौका मुआयना किया और मौके पर से 1 जे.सी.बी. व 2 ट्रैक्टर- ट्राली चालक पकड़े हैं, जिन्हें वह आगामी कार्रवाई के लिए थाना परिसर ले आए हैं।

उन्होंने कहा कि यह किस गांव की हद से पकड़े गए हैं, यह राजस्व विभाग के द्वारा ही बताया जा सकता है। यहां पर गांव कांगड़ व लोअर बढेड़ा की सीमाएं लगती हैं।

Scanned with CamScanner

Villagers protest illegal mining at Haroli village

LALIT MOHAN
TRIBUNE NEWS SERVICE

UNA, JUNE 26

The residents of Kangar village in Haroli assembly constituency have protested against the illegal mining taking place in the area. The members of Kangar panchayat yesterday went to the Swan river bed and stopped the JCB machines engaged in illegal mining. The panchayat officials later submitted a complaint to the police officials to take action against people resorting to illegal mining in their area.

Shashi Bala, pradhan of the village, while taking to The Tribune, said that the illegal mining of sand in their area was threatening Swan river canalisation work. In case the bundhs constructed along the Swan river breach in the monsoons, this would cause heavy damage to the land of villagers.

She alleged that the village panchayat has written to the police and mining authorities regarding illegal mining taking place in their area many times but no action was being taken against the culprits as they enjoyed political patronage.

Mohinder Pal, panch in the village, said that despite ban, mechanical mining was taking place in the Swan. Huge dumps of sand collected along the banks of the river could be seen. They are then further transported outside the state.

Vinod Bittu, block pradhan of Haroli Congress, said that heavy vehicles carrying up to 30 to 50 tonnes sand were plying in the rural areas of Haroli Assembly constituency. Since most roads in the area were designed for loads up to nine tonnes they are being badly damaged due to heavy pressure being created by heavy vehicles carrying sand.

Mukesh Agnihotri, CLP leader and sitting MLA from Haroli assembly constituency, said that the BJP came to power alleging that various mafias were thriving during the Congress rule. However, now when the saffron party was ruling the state, illegal mining in Una had crossed all limits.

Agnihotri alleged that huge dumps of illegally mined sand can be seen along the banks of the river and inside. The sand mined illegally was being smuggled out of the state to Punjab. During the stint of the Congress rule CCTV cameras were installed at various entry points in the state to keep a check on number of vehicles carrying illegally mined material out of the state. However, most the CCTV cameras are now non functional and hundreds of heavy vehicles are indulging in carrying illegally mined sand from Swan river bed to Punjab.

The CLP leader alleged that the National Green Tribunal has totally banned mechanical mining in the river beds. However, it was strange that in Una no such ban was visible. He alleged that mining was taking place even outside the leased out areas for sand mining.

The mining officer Una, Paramjeet Singh was not available for comments despite efforts to contact him on phone.

Kangar residents stop the JCB machines from mining.

Mining has crossed all limits: Agnihotri

- Mukesh Agnihotri, CLP leader and sitting MLA from Haroli assembly constituency, said that the BJP came to power alleging that various mafias were thriving during the Congress rule.
- However, now when the BJP was ruling the state, illegal mining activities in Una had crossed all limits.
- The sand mined illegally was being smuggled out of the state to Punjab.

Scanned with CamScanner

बेखौफ खनन माफियाः अधिकारी को दी धमकी, कहा-करवा दूंगा ट्रांसफर

अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर भड़के टिप्पर चालक ने अधिकारी को धमकाया

Update: Sunday, June 30, 2019 @ 5:03 PM

ऊना। जिला में **खनन माफिया** (Mining Mafia) का बेखौफ होता दिख रहा है। अब तो खनन माफिया ने सारी हदें पार करते हुए एक अधिकारी को तबादले (Transfer) और नतीजा भुगतने तक की धमकी (Threat) दे डाली। बता दें कि खनन माफिया स्वां नदी और अन्य खड्डों [illegible]ना छलनी कर रहा है, लेकिन अगर कोई **अधिकारी** इनके

Scanned with CamScanner

The Tribune
CHANDIGARH | MONDAY | 29 JULY 2019

Sand dumps expose illegal mining in Una's Swan river

RAJESH SHARMA

UNA, JULY 28

The illegal mining is going on in the Swan river resulting in more than 100 sand dumps that have come up on both banks of the river on 20-km stretch between Basal and Santoshgarh.

These dumps, which have mushroomed for the first time this year, have failed to attract the attention of law enforcement agencies. Going by the size of the dumps, each one is capable of filling dozens of tippers in one go.

According to the Himachal Pradesh Mining Act, sand can only be extracted from patches of land leased in the river. No heavy machinery can be used to extract sand and gravel. While both these rules are blatantly being flouted in the Swan, a new dimension in the form of sand dumps has recently come in.

Since there are no visible markings of areas leased for mining, heavy machinery and tippers are extracting sand throughout the 700-metre width and 55-km length of the the river from Marwari in Gagret to Santoshgarh in Una.

The material is brought to the roadside and dumped on land owned by private parties with which the lessee enters into an agreement to hire space for a dumping yard. From this dumping yard, tippers can freely and legally lift sand since these are located on private lands.

What Act says

- According to the HP Mining Act, sand can only be extracted from patches of land leased in the river
- No heavy machinery can be used to extract sand and gravel
- The material is brought to the roadside and dumped on land owned by private parties
- From this dumping yard, tippers can freely and legally lift sand

The Vidhan Sabha Estimates Committee, chaired by Jwalamukhi MLA Ramesh Dhawala, which visited Una a fortnight ago, had directed the district administration to immediately destroy the sand dumps since these were illegal.

There had been instances when illegal sand dumps were transported to panchayats for use in public works. The committee had also expressed concern on the large scale mining and the declining ground water reserves in Una district.

District Mining Officer Paramjit Singh said the Mining Act was not clear as to weather the dumping of material extracted from the river was legal or illegal. He said he had written to his officers for a clarification.

Scanned with CamScanner

सूरत-ए-हाल रात दिन किया जा रहा खनन, प्रशासन से कार्रवाई की मांग, सैकड़ों एकड़ भूमि खड्डों में समा चुकी है

खनन माफिया के निशाने पर बंगाणा की खड्डें

संवाद सहयोगी, बंगाणा : दुमख्वर खड्ड में अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। प्रशासन खनन माफिया पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है। क्षेत्र के दुमख्वर, तलमेट, चपलाह, कोकरा, चड़ोली, ब्रेहला, टकोली, डीहर, राजपुरा, खड़ोल, अरलू आदि खड्डों में हो रहे अवैध खनन का खामियाजा उन गरीब किसानों को भुगतना पड़ रहा है जिनकी सैकड़ों बीघा जमीन भूकटाव के कारण खड्ड में समा रही है।

स्थानीय लोग अगर हिम्मत जुटाकर खनन माफिया के विरोध में उतरते हैं तो उन्हें उनकी गुंडागर्दी का सामना करना पड़ता है। पिछले साल भी किसानों व खनन माफिया के बीच हाथापाई की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दुमख्वर खड्ड, अरलू, हटली, ब्रेहला, तूतड़ू आदि खड्डों में हो रहे अवैध खनन से सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को अपनी सिंचाई व पेयजल योजनाओं के

दुमख्वर खड्ड में किया जा रहा अवैध खनन ● जागरण

फलाप होने से करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि अवैध खनन से खड्डें गहरी हो गई हैं। जिससे सैकड़ों एकड़ भूमि व पेड़ भी अवैध खनन की भेंट चढ़ चुके हैं। इस बारे में खनन अधिकारी परमजीत सिंह ने कहा कि उनके पास स्टाफ की कमी है। क्षेत्र अधिक है, जिसके चलते अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

इन खड्डों में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है। पुलिस रात को इन खड्डों में गश्त कर रही है। खनन माफिया की धरपकड़ चल रही है। जो भी शिकंजे में आएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा।

-अशोक वर्मा, डीएसपी ऊना

दड़ा सट्टे की पर्चियों के साथ एक काबू

संवाद सहयोगी, मैहतपुर : स्थानीय पुलिस चौकी के कर्मचारियों ने राय मैहतपुर रेलवे फाटक के पास एक व्यक्ति को दड़ा सट्टे की 1800 रुपये की पर्चियों के साथ पकड़ा है। पहचान अशविंदर सिंह निवासी करतारपुरा पंजाब के रूप में हुई। मैहतपुर चौकी प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपित के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

स्वां पुल के पास किया जा रहा खनन

नियमों को किया जा रहा दरकिनार

टाहलीवाल, 21 अगस्त (गौतम): स्वां नदी आए दिन भीषण रूप में आकर तांडव मचा रही है और प्रशासन स्वां नदी में न जाने की बार-बार दुहाई दे रहा है। सड़कों व पुलों पर बरसात के दिनों में स्वां नदी में न जाने के चेतावनी बोर्ड भी लगाए हुए हैं इन सबके बावजूद रोजाना स्वां नदी में रेत उठाने वाले नियमों को ताक पर रखकर जान जोखिम में डालकर खनन को अंजाम दे रहे हैं।

पुल के 30 मीटर क्षेत्र में ही रेत के वाहन भरे जा रहे हैं जबकि नियमानुसार पुल से 300 मीटर दूरी पर ही रेत की लीज वाले रेत उठा सकते हैं लेकिन यहां नियमों को ताक पर रखकर रेत माफिया अपनी जान को तो जोखिम में डाल ही रहा है और पुल की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहा है। दिन-प्रतिदिन इन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि अब प्रशासन से डरने की बजाय उनको ही डराने लगे हैं। ऐसी घटनाएं अभी हाल ही में हो भी चुकी हैं।

बुद्धिजीवी वर्ग ने कहा है कि अगर यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो भविष्य में एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से इन रेत माफियाओं पर नकेल कसने की गुहार लगाई है ताकि पुल की सुरक्षा बनी रहे।

टाहलीवाल : नियमों को ताक पर रखकर टाहलीवाल-संतोषगढ़ मार्ग पर बड़े पुल के पास से रेत उठाती ट्रैक्टर ट्रॉलियां। (गौतम)

कार्रवाई करने के दिए हैं निर्देश

खनिज अधिकारी ऊना परमजीत सिंह का कहना है कि मामला ध्यान में आ गया है और कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

Scanned with CamScanner

/mbmnewsnetwork.com 6

स्वां नदी में दिन दिहाड़े बेख़ौफ़ है खनन माफिया, रेत के अवैध खनन में मशीनों का इस्तेमाल

JUNE 25, 2019 BY MBM — LEAVE A COMMENT

एमबीएम न्यूज़/ऊना

जिला में खनन माफिया के कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफिया अपने फायदे के लिए दिन-दिहाड़े ही स्वां नदी और खड्डो के भीतर बड़ी-बड़ी मशीनें लगाकर रेत उठा रहे है। वहीं स्वां नदी के तटीकरण के लिए सरकार द्वारा करोड़ो रुपया खर्च किया गया है, लेकिन खनन माफिया ने इन तटबंधों के बिल्कुल साथ से रेत उठाकर बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए है। जिससे इन तटबंधों के नुक्सान का भी अंदेशा बना हुआ है। खनन माफिया की हरकतों से परेशान लोग कई बार आवाज़ उठाते है। मगर उनकी आवाज़

HINDI ENGLISH

Scanned with CamScanner

दबकर रह जाती है।

रेत के अवैध खनन में मशीनों का इस्तेमाल करते खनन माफिया

इस बार हरोली विधानसभा क्षेत्र के गांव कांगड़ के वाशिंदों ने खनन माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। कांगड़ के ग्रामीणों ने दिनों दिन बढ़ रही खनन माफिया की गतिविधियों से परेशान होकर स्थानीय पंचायत को शिकायत सौंपकर इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि खनन माफिया द्वारा जहाँ स्वां नदी में बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए गए है जिससे बरसातों के दिनों में किसी अनहोनी का अंदेशा बना हुआ है। वहीँ गांव के बीचों-बीच रेत के बड़े-बड़े डंप लगा दिए है, जिससे हर समय दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

Scanned with CamScanner

वहीँ पंचायत प्रधान शशि कुमारी ने बताया कि उनके गांव में खनन माफिया द्वारा स्वां नदी में अवैज्ञानिक खनन करने की शिकायतें मिल रही थी जिसे लेकर आज मौका देखा गया है। पंचायत प्रधान ने माना कि स्वां नदी में बहुत बड़े स्तर पर खनन हुआ है। पंचायत प्रधान ने प्रशासन से खनन पर लगाम लगाने की मांग उठाई है। क्षेत्र में खनन को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।

हरोली ब्लाक कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद बिट्टू ने कहा कि जयराम सरकार में प्रशासन खनन गतिविधियों को लेकर आँखे मूंदे बैठा है। खनन विभाग के निरीक्षक के पास वो ही रटा-रटाया जवाब सुनने को मिला कि विभाग मामले में उचित कार्रवाई करेगा। खनन इंस्पेक्टर योगराज की मानें तो मीडिया के माध्यम से उनके ध्यान में यह मामला आया है। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या विभाग क्षेत्र में जाकर खनन गतिविधियों का जायजा नहीं लेता।

Scanned with CamScanner

स्वां में बना दिए 15 फुट के गड्ढे

ग्रामीणों की शिकायत पर कांगड़ पंचायत लामबंद, खनन माफिया के हौसले बुलंद

हिमाचल दस्तक। ऊना/हरोली

हरोली विस क्षेत्र के तहत स्वां नदी में अवैध खनन जोरों-शोरों से हो रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कांगड़ पंचायत की प्रधान शशि कुमारी से की, वहीं पंचायत प्रधान की अगुवाई में पंचायत प्रतिनिधियों ने स्वां नदी का निरीक्षण किया। पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि यहां अवैज्ञानिक ढंग से खनन किया जा रहा है। प्रतिनिधियों ने स्वां में लगी जेसीबी मशीनें, टिप्पर व ट्रैक्टर को लेकर रोष जताया और प्रशासन से खनन पर लगाम लगाने की मांग उठाई है। इसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों ने इसकी शिकायत डीसी, एमओ, तहसीलदार, बीडीओ और थाना प्रभारी से की। उधर, खनन विभाग मामले में जल्द कार्रवाई करने का दावा कर रहा है। स्वां में लगे बांध से 20 फुट की दूरी पर गहरे खड्डे कर दिए गए हैं, तो वहीं इस खनन से स्वां में करीब 12 से 15 फुट तक खड्डे हो गए हैं। फिलवक्त लोग व पंचायत तो सक्रिय होकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक रूप से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांगड़ के ग्रामीणों ने दिनोंदिन बढ़ रही खनन माफिया की गतिविधियों से परेशान होकर स्थानीय पंचायत को शिकायत सौंपकर इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। कांगड़ स्वां में लगी एक जेसीबी, एक टिप्पर व चार ट्रैक्टर को लेकर रोष जताया और तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई। निरीक्षण करने पहुंचे पंचायत प्रधान शशि कुमारी, ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान विनोद बिट्टू, महिंद्र पाल, हरमेश, सतपाल, किरणा, अनीता, मंजीत, करनैल सिंह, भगत राम, जनक राज, अश्वनी व तिलक राज अन्य शामिल रहे।

- **डीसी, एमओ व थाना प्रभारी को दी शिकायत**
- **मौके के निरीक्षण पर पाए जेसीबी व टिप्पर**

कांगड़ के पंचायत प्रतिनिधि स्वां खड्ड का निरीक्षण करते हुए।

खनन माफिया द्वारा स्वां नदी में खनन करने की शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर आज मौका देखा गया है। पंचायत प्रधान ने माना कि स्वां नदी में खनन हुआ है। पंचायत प्रधान ने प्रशासन से खनन पर लगाम लगाने की मांग उठाई है।

-शशि कुमारी, पंचायत प्रधान

क्या कहते हैं ब्लॉक अध्यक्ष

हरोली ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद बिट्टू ने कहा कि जयराम सरकार में प्रशासन खनन गतिविधियों को लेकर आंखें मूंदे बैठा है। भाजपा सरकार के बनते ही खनन माफिया के हौसले बुलंद हो गए।

क्या कहता है खनन विभाग

खनन विभाग के इंस्पेक्टर योगराज ने कहा कि विभाग मामले में उचित कार्रवाई करेगा। मामला मीडिया द्वारा ध्यान में लाया गया है। विभाग मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेगा और अगामी कार्रवाई करेगा।

Scanned with CamScanner

ऊना में खनन माफिया की गुंडागर्दी

ऊंची पहुंच का रौब दिखाकर चालक ने बीओ को दी ट्रांसफर की धमकी

चंद्रमोहन चौहान। ऊना

- कहा, चालान किया तो नतीजा भुगतने को रहें तैयार
- वन विभाग की टीम रामपुर में विशेष अभियान के तहत कर रही थी पेट्रोलिंग

जिला के रामपुर में वन विभाग की टीम खनन माफिया के खिलाफ विशेष अभियान के दौरान पेट्रोलिंग कर रही थी। टीम ने जब रेत से भरे एक टिप्पर व दो ट्रैक्टर को रोका, तो ये वाहन चालक अपनी ऊंची पहुंच का रौब दिखाकर वन विभाग के खंड अधिकारी को धमकियां देने लगे। मंत्रियों तक अपनी पहुंच बताते हुए बीओ को ट्रांसफर तक की धमकी दे डाली। हद तो तब हो गई, जब वाहन चालक ने कहा कि जनाब चालान किया, तो परिणाम भुगतने को भी तैयार रहे। इस पर किसी दलील को न सुनते हुए बीओ ने अवैध खनन का चालान कर चालक के हाथ में थमाते हुए 10 हजार रुपये जुर्माना मौके पर ही वसूल किए।

बता दें कि ऊना में खनन माफिया के हौसले काफी बुलंद है। जहां माफिया के लोग स्वां नदी में जेसीबी मशीन की मदद से अवैज्ञानिक ढंग से खनन कर रहे है। वहीं खड्डों में मशीनें लगाकर 10 से 15 फुट तक गहरे गड्ढे भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी न हो। प्रशासन जब भी खनन माफिया पर कार्रवाई करता है, तो बड़े राजनेताओं का नाम लेकर अधिकारियों को डराने से पीछे नहीं हटतो। रविवार को भी रामपुर में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर वन विभाग के बीओ को ट्रांसफर की धमकी दी गई, लेकिन बीओ ने किसी की न सुनते हुए अवैध खनन का चालान चालक को थमा दिया। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम बीओ संजीव ठाकुर की अगुवाई में रामपुर पर पेट्रोलिंग कर रही थी। जहां पर टीम ने अवैध खनन को लेकर दो ट्रैक्टर को रोका, तो चालक ट्रैक्टर छोड़ भाग गया। वहीं कुछ देर बाद रेत से भरा टिप्पर को विभाग की टीम ने रोका, चालक बीओ को मंत्री तक पहुच बताते हुए टिप्पर छोड़ने को कहा, लेकिन जब बीओ ने कागज मांगे और चालान कटवाने की बात कही, तो चालक बीओ से बहस करने लगा और कहा कि चालान काटा तो परिणाम भी भुगतने को तैयार रहना। वहीं खनन माफिया द्वारा मिली धमकी के बाद वन विभाग के खंड अधिकारी संजीव ठाकुर ने कहा कि अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटूंगा।

जिला प्रशासन और भाजपा की खनन माफिया से मिलीभगत: बिट्टू

ऊना। ऊना व हरोली हल्के में स्वां नदी से अवैध खनन हो रहा है, जिसकी प्रशासन अनदेखी कर रहा है, इसका मतलब भाजपा व प्रशासन की मिलीभगत है। यह बात हरोली कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद कुमार बिट्टू ने कही। रविवार को जारी बयान मे बिट्टू ने कहा कि प्रशासन को स्वां नदी के तटीयकरण से मात्र दस मीटर की दूरी पर 15-20 फुट गहरे गढ्ढो को डाल से रेत उठाया जा रहा है। इससे स्थिति साफ है कि प्रशासन व भाजपा की मिलीभगती से यह सब हो रहा है। बिट्टू ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर भीतर स्वां मे लीज होल्डरो ने अपनी लीज पर बुर्जिया नही लगाई व अवैध खनन पर रोक नही लगाई तो वीडियो व तस्वीरों से स्थिति साफ कर दी जाएगी। बिट्टू ने कहा कि यदि ऐसे मे कार्रवाई न हुई तो अधिकारी के नाम विभागों के मुखिया व प्रशासन को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। हरोली कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद कुमार बिट्टू ने कहा कि माफिया को लेकर मशाल जुलूस निकालने वाले भाजपा के नेता बताए कि आज उनके मुंह क्यों सिल गए है।

ऊना में खनन माफिया की पौ बारह

बिना रोक-टोक खूब फल-फूल रहा गोरखधंधा

ऊना में लगा रेत का ढेर।

राजीव भनोट। ऊना

- ओवरलोड, डंप और मशीनी खनन बना परेशानी का सबब

खनन को लेकर ऊना में नियम, कायदे, कानून सबको ताक पर रखा जा रहा है। यही कारण है कि जिला ऊना में खनन माफिया पौ बारह हो गई है, जिसमें हर कोई बहती गंगा में हाथ धोने जैसी बात कर रहा है। जिला में हो रहा खनन न केवल अवैज्ञानिक है, वहीं सरकारी संपत्ति के साथ साथ प्रदेश सरकार के खजाने को चूना भी लगा रहा है, लेकिन इस खनन को रोकने के लिए कोई एजेंसी आगे आने को तैयार नहीं है।

जिला ऊना में 80 के करीब लीज खनन के लिए विभाग द्वारा जारी की गई 5 नई खनन लीज जारी हुई है। कुल मिलाकर 85 खनन की लीज सरकारी तौर पर जारी की गई है। लेकिन यह खनन स्वां से धड़ल्ले से हो रहा वो भी नियमों को ताक पर रखकर। हालत यह है कि स्वां तटीयकरण के कार्य से करीब 20 मीटर दूर तक जहां खनन नहीं हो सकता, वहां 15 से 20 फुट तक के खड्डे डालकर खनन कर लिया गया है। जिससे निश्चित रूप से स्वां के कार्य को नुकसान बरसात के समय में हो सकता है। अवैज्ञानिक रूप से मशीन के साथ किया जा रहा है, लगातार जिला ऊना में पीला पंजा स्वां के रेत से सोना बनाने का काम कर रहा है। बरसात आने को है इसलिए रेत के कारोबार में लगे लोग अभी से बड़ी संख्या में रेत को इकट्ठा करने का काम करने लगे हैं। जिसके लिए स्वां के किनारों पर बड़े-बड़े डंप बनाए जा रहे हैं, जबकि नियमों के तहत रेत के डंप लगाए नहीं जा सकते हैं, लेकिन जिला ऊना में बिना रोक-टोक आपको 50 से अधिक ऐसे डंप ग्रामीण क्षेत्रों में देख सकते है। जहां रोजाना जेसीबी के माध्यम से गाड़ियों को भरा जाता है और रात को खनन की गतिविधि हो नहीं सकती, लेकिन जिला ऊना में असली खनन का कारोबार रात को ही फल-फूल रहा है और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जिला में मुख्य सड़कें तो खनन के काम आ ही रही है, लेकिन अब खनन के कारोबार में लगे लोगों ने अनेक चोर और रास्तों का निर्माण भी कर लिया हैए जिनके माध्यम से पंजाब को बड़ी संख्या में रेत व बजरी के टिप्पर भेजे जा रहे है।

दूसरी बड़ी समस्या यह है कि ओवरलोड कर इन टिप्परों को भेजा जा रहा है, जो यहां दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। वहीं ओवरलोडिंग के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन पुलिस के अनेक नाकों से यह टिप्पर जाते है पर रोकने की हिम्मत कोई नहीं करता है। यही नहीं पुलों के साथ खनन किया जा रहा है और डंप भी लगाए जा रहे है। स्वां के बांधों के ऊपर गैर कानूनी ढंग से रास्ते बना लिए गए, खनन विभाग के अधिकारी चेकिंग करने की बात तो करते है, लेकिन अधिक लीज होने के चलते और राजनीतिक पहुंच भी खनन कार्यों की होने पर सीधे हाथ डालने से घबराते है।

पुलिस खनन की इन स्थानों पर जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही है या यूं कहें कि पुलिस पूरी तरह से मूकदर्शक बनकर खनन के खेल को होता देख रही है। जहां तक कि ओवरलोडिंग से जिला में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत भी हुई। उस हादसे के बाद भी जिला प्रशासन व पुलिस जागे नहीं। अब तो जिला के कई स्थानों पर पंचायत प्रतिनिधि खनन को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन फिलवक्त खनन पर कोई ठोस कार्रवाई होते नहीं दिख रही है। खनन विभाग यह भी साफ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि क्या जेसीबी से खनन हो सकता है? क्या डंप लगाए जा सकते हैं? क्या 20 से 30 फुट तक पर खड्डे डाले जा सकते हैं? इस सब पर खनन विभाग मौन है। अब देखना यह है कि खनन को लेकर रामराज्य ही चलता है जो कोई कार्रवाई भी आने वाले समय में होती है?

Scanned with CamScanner

कांगड़-बढेड़ा में मशीनों से स्वां को किया जा रहा छलनी

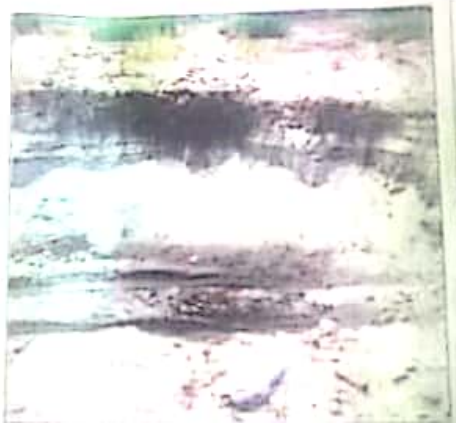

Scanned with CamScanner

12:53 PM

equipment parts

INSTALL

ऊना केसरी

TUESDAY, 9 FEBRUARY 2021

UNA KESARI

अवैध खनन : 'अवैज्ञानिक ढंग से छलनी हो रही स्वां नदी'

'हत्यारोपी पहले भी कर चुका था 2 बार पत्नी से मारपीट'

'पंडोगा में टिप्पर चालक व परिचालक को पीटा'

'10 व 12 को बंद रहेगी बिजली'

'नगर परिषद संतोषगढ़ में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत'

'टी.बी. रोगियों की पहचान को 28 तक चलेगा सर्वे'

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

खनन माफिया के हौसले बुलंद

रायपुर-मंदवाड़ा खड्ड में खनन करते 2 ट्रैक्टर धरे

दौलतपुर चौक, 20 नवम्बर (रोहित): क्षेत्र में खनन माफिया का कहर बढ़ता जा रहा है जिससे जनता भी परेशान है क्योंकि जब खड्डों में बाढ़ आती है तो खनन की वजह से भारी तबाही मचती है। बुधवार को खनन के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए चौकी प्रभारी तरसेम लाल की अगुवाई में सुबह करीब 4 बजे रायपुर खड्ड में दबिश दी और खनन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया। चौकी प्रभारी तरसेम लाल ने बताया कि पुलिस ने मौके पर ही दोनों के चालान काटकर 9400 रुपए वसूले, साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि भविष्य में अगर खनन करते हुए पकड़े गए तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

पुलिस प्रशासन व खनन विभाग का नहीं नियंत्रण

क्षेत्र में अवैध खनन का सबसे बड़ा कारोबार जोरों पर चला हुआ है जहां न तो पुलिस न प्रशासन और नही खनन विभाग का कोई नियंत्रण है। दौलतपुर व इसके आसपास गांवों में तो खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि माफिया से जुड़े लोग दिन-रात रेत के डंप लगा कर चांदी कूट रहे हैं जो विभाग की कार्यप्रणाली को शक के कटघरे में खड़ा कर रही है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस अवैध खनन को लेकर कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं लेकिन चांदी की नोक के कारण प्रशासन ने आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

पंजाब बॉर्डर पर होने के चलते चोर रास्तों का हो रहा इस्तेमाल

जहां पंजाब बॉर्डर पर होने के चलते लगभग पांच रास्ते हैं जो क्षेत्र की सड़कों को पंजाब से जोड़ते हैं और जहां से खूब सारा अवैध खनन को रेत-बजरी पंजाब को भी सप्लाई की जा रही है।

क्षेत्र की खड्डों में अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है, वहीं विभाग इससे कोसों दूर नजर आता है।

काबिलेगौर है कि विभाग की उदासीनता के चलते ही आए दिन सड़कों पर अवैध खनन की खबरें छप रहीं परन्तु न तो प्रशासन इस पर कोई सुध ले रहा है और न ही सरकार इस पर गंभीर नजर आ रही है।

आम जनता को जागरूक करने की आवश्यकता

अवैज्ञानिक खनन से केवल पर्यावरण को ही नुक्सान नहीं हो रहा बल्कि नदियों व खड्डों के रास्ता बदलने से उपजाऊ भूमि भी बह रही है। पहाड़ी इलाकों में सिंचाई में अहम योगदान देने वाली कूहलों में जलस्तर कम हो रहा है। कूहलों में पानी घटने से लोगों को नुक्सान झेलना पड़ रहा है, विशेषकर किसानों को।

सरकारी स्तर पर जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि खनन से क्या नुक्सान झेलने पड़ सकते हैं। पर्यावरण व अन्य नुक्सान का संज्ञान लेते हुए सख्त सजा का प्रावधान करना होगा ताकि लोग अपराध करने से पहले सौ बार सोचें।

विभाग मुस्तैद तो कैसे हो रहा अवैध खनन

नगर पंचायत दौलतपुर चौक एवं इसके आसपास के इलाकों में खनन माफिया के बुलंद हौसले पर्यावरण के संतुलन के लिए अच्छी बात नहीं। आलम यह है कि बारिश से खड्डों में पानी के बहाव से रेत इकट्ठा होते ही उसे चुराने के लिए सक्रिय हो जाता है रेत माफिया। यह लालच ही है रेत माफिया का जो खड्डों से रेत को खत्म कर रहा है अन्यथा पूरा साल रेत की किल्लत न हो परन्तु संबंधित विभाग की सख्ती न होने से माफिया बेलगाम है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भले ही पर्यावरण संरक्षण व लोगों के व्यापक हितों को देखते हुए खनन पर प्रतिबंध लगाया है लेकिन पैसे की चकाचौंध में खनन माफिया इन नियमों की बलि चढ़ा रहा है। विकास के लिए बेशक भवन निर्माण सामग्री का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए नियमों को तिलांजलि देना और अवैज्ञानिक तरीके से खनन करना उचित नहीं ठहराया जा सकता।

ऊना : खनन की मुंह बोलती तस्वीरें। स्वां नदी के भीतर प्रतिबंध के बावजूद खनन कार्य में लगी जे.सी.बी. मशीनें। जगह-जगह इसी प्रकार जे.सी.बी. मशीनों के जरिए खनन मैटीरियल उठाया जा रहा है। (ब्यूरो)

Scanned with CamScanner

पंजाब केसरी SAT,27 MARCH 2021
EDITION: UNA KESARI, PAGE NO. 1

आखिर स्वां नदी के तटों पर और स्टोन क्रशरों को अनुमति क्यों ?

खनन के खिलाफ किसानों की मोर्चाबंदी, पंडोगा, जनकौर के बाद नंगड़ां में भी विरोध के स्वर

ऊना : मुंह बोलती तस्वीर। ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत नंगड़ां में छलनी की गई स्वां नदी व (दाएं) खनन और यहां प्रस्तावित क्रशर के विरोध में उतरे किसान। (सुरेन्द्र)

अंधाधुंध खनन को लेकर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई, रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में बना 5 सदस्यीय जांच दल

ऊना, 26 मार्च (सुरेन्द्र शर्मा): एक तरफ खनन को लेकर जिला भर में जबरदस्त हो हल्ला हो रहा है तो दूसरी तरफ सरकार नए स्टोन क्रशर स्थापित करने और खनन लीज की अनुमति दे रही है। स्वां नदी अब हरि सब्जियों के लिए नहीं बल्कि रेत और बजरी के खनन के लिए प्रसिद्ध होने लगी है। जिला ऊना में सर्वाधिक 73 खड्डें तथा विस्तृत स्वां नदी है। यह नदी रेत के खनन के लिए अब सोना उगलने लगी है।

धड़ाधड़ यहां से हो रहे खनन से लोग मालामाल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ अंधाधुंध खनन ने कई दिक्कतें भी पैदा करनी शुरू कर दी हैं। अब नए स्टोन क्रशरों की अनुमति से विवाद और बढ़ने लगा है। ऊना जिला की बात करें तो इस समय सर्वाधिक 39 स्टोन क्रशर यहां दिन-रात काम कर रहे हैं। सरकार ने 7 नए क्रशरों के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। जिला में इस समय 91 खनन पट्टे दिए गए हैं। इन खनन पट्टों से रेत और बजरी का खनन किया जा रहा है। जिला में कुल अब स्टोन क्रशरों की संख्या 46 हो जाएगी। कई और लोग भी स्टोन क्रशर लगाने और माइनिंग लीज लेने के लिए प्रारंभिक प्रक्रियाओं को पूरा कर रहे हैं। यानी काफी लोग और भी लाइन में लगे हुए हैं।

नए स्टोन क्रशरों की अनुमति को लेकर अब किसान खुलकर सामने आ गए हैं। हरोली क्षेत्र के पंडोगा से आरंभ, जनकौर हार तथा अब नंगड़ां में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। यानी सरकार ने इन स्थानों पर क्रशर लगाने को अनुमति प्रदान कर दी है।

धड़ाधड़ स्टोन क्रशर लगाने को अनुमति दी जा रही है, ऐसे में आने वाले दिनों में स्वां नदी और इसकी सहायक खड्डों की क्या स्थिति होगी, इसको लेकर चिंताएं अभी से जाहिर होने लगी हैं।

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है खनन का मामला

स्वां नदी में खनन को लेकर पहले ही मामला नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है। इसको लेकर एन.जी.टी. ने 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है। पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो स्वां नदी में आकर वस्तुस्थिति का अध्ययन करेगी। इसको लेकर डी.सी. ने भी विभिन्न विभागों से रिपोर्ट तलब की है।

मशीनों से हो रहे खनन के सामने आने लगे दुष्प्रभाव

एन.जी.टी. में मामला जाने और कमेटी के गठन के बाद इस कमेटी के संभावित दौरे से पहले स्वां नदी के भीतर उन गड्ढों को भरने की कवायद भी पर्दे के पीछे शुरू हुई है जिनको लेकर विवाद होता आया है। हालत यह है कि स्वां नदी के चैनेलाइजेशन को भी अंधाधुंध खनन से नुकसान पहुंच रहा है। तटबंध से नदी के भीतर जाने के लिए जगह-जगह रास्ते बनाए गए हैं। चैनेलाइजेशन के बिल्कुल साथ के क्षेत्रों में मशीनों से खनन हो रहा है। इसके दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे हैं।

नीचे गिर रहा भू-जल स्तर

बसाल के किसान नरेश शर्मा, टक्का के कुलभूषण, लोअर पंडोगा के अग्रणी किसान सहाम सिंह, दलीप चंद, अमृतसरिया, किशोरी लाल, मोहन लाल, जनकौर हार के बब्बर वीर बहादुर सिंह, रणधीर, नगड़ां के सतनजीत व यशपाल सहित कई किसानों ने अब अंधाधुंध खनन के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि पहले ही दिन-रात खनन हो रहा है। अब और क्रशरों की अनुमति के बाद रॉ मैटीरियल की मांग बढ़ेगी तो स्वां नदी पूरी तरह से छलनी हो जाएगी। किसानों का कहना है कि स्वां नदी के आसपास सिंचाई के लिए लगाए गए ट्यूबवैलों का वाटर लेवल काफी गिर चुका है। दिनों-दिन भू-जल स्तर नीचे जा रहा है। इसका मुख्य कारण लगातार नदी में हो रहा खनन है।

तथ्यों की जानकारी के बावजूद सरकार ने मूंदी आंखें

एक तरफ सरकार लगातार लीज दे रही है। स्टोन क्रशरों को एन.ओ.सी. जारी हो रही है तो दूसरी तरफ केवल मैनुअल माइनिंग करने के लिए हिदायतें दी जा रही है। यह जानते हुए भी कि हाथों से टिप्पर व ट्रालियां नहीं भर सकते। वर्तमान समय में स्टोन क्रशरों पर अत्यधिक डिमांड को हाथों से पूरा नहीं किया जा सकता है। तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद आखिर व्यवस्था ने आंखें क्यों मूंद रखी हैं। यदि पर्यावरण की चिंता है तो फिर अंधाधुंध लीज और क्रशरों की अनुमतियां क्यों दी जा रही हैं।

> सरकार को 80 एच.पी. तक के लोडर की अनुमति देनी चाहिए। जब कायदे कानूनों के तहत अनुमतियां हो रही हैं तो यह अनुमति भी दी जानी चाहिए ताकि वर्तमान समय के मुताबिक सभी कार्य हाथों से यानी मैनुअल तरीके से संभव नहीं है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की गाइडलाइंस में भी 80 एच.पी. (हॉर्स पावर) के लोडर की व्यवस्था है तो फिर यह प्रदेश में क्यों नहीं दी जा रही है। - डिम्पल ठाकुर, अध्यक्ष ऊना जिला स्टोन क्रशर वैल्फेयर एसोसिएशन

> जिला में खनन के लिए 91 लीज आबंटित की गई हैं जबकि 39 स्टोन क्रशर वर्किंग में हैं। 7 नए क्रशरों को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। 2 स्टोन क्रशरों को बंद करने के लिए नोटिस भी दिए जाएंगे। कहीं भी जे.सी.बी. मशीनों के जरिए खनन की अनुमति नहीं है। विभाग लगातार जांच कर कार्रवाई करता है। एन.जी.टी. की टीम कब निरीक्षण के लिए आएगी, इसकी अभी जानकारी नहीं है। - हरविन्द्र सिंह, जिला खनिज अधिकारी

Scanned with CamScanner

ऊना केसरी

SMS
The more you are willing to accept responsibility for your actions, the more credibility you will have.

UNE 2019. | तापमान अधिकतम 40° | न्यूनतम 21° आज बारिश हो सकती है। सूर्योदय 05.19 | सूर्यास्त 07.28 | UNA KESARI

रेत माफिया के लिए ऊना बना सोने की खान

पर्यावरण के लिए बना गंभीर चुनौती, स्वां नदी का दिन-रात हो रहा सीना छलनी

पंजाब केसरी पड़ताल

ऊना, 13 जून (सुरेन्द्र): निजी हितों की पूर्ति के लिए यदि खनन बदस्तूर इसी तरह जारी रहा तो आने वाले समय में इसके भयावह परिणाम भुगतने होंगे। जिला ऊना रेत माफिया के लिए सोने की खान बन चुका है। स्वां नदी के विस्तृत क्षेत्र पर न केवल हिमाचल बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब की भी खासी नजर है। गगरेट से लेकर संतोषगढ़ में पंजाब बॉर्डर तक जिस तरीके से स्वां नदी के बीच अंधाधुंध खनन गतिविधियां जारी हैं वे पर्यावरण के लिए बेहद घातक सिद्ध होने वाली हैं। रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले में भी दनादन जे.सी.बी. खनन गतिविधियों में लगी हुई हैं। न तो माइनिंग डिपार्टमैंट के सी.सी.टी.वी. कैमरा अंधाधुंध खनन को रोकने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं और न ही कोई और एजैंसी इस पर नजर रखे हुए है। फाइलों में सब कुछ ठीक है लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है।

ऊना : अंधेरे का लाभ लेते हुए गारनी खड्ड पर बने पुल के नीचे रेत और बजरी भरते ट्रैक्टर-टिप्पर। (सुरेन्द्र)

लीज नियमों के तहत डम्प नहीं बनाए जा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग तट कटीकरण को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए रेत को सड़क तक लाते हैं ताकि वाहनों की आवाजाही तट बांध पर न हो। किसी भी प्रकार की माइनिंग मैनुअल ही की जा सकती है। मशीनों का प्रयोग नहीं हो सकता है। विभाग लगातार इस पर नजर रखता है और कार्रवाई भी होती है। यह कुछ दिनों से छुट्टी पर हैं ऐसे में उन्हें परिस्थितियों की उन्हें जानकारी नहीं है।

- परमजीत सिंह, जिला खनिज अधिकारी

अंधाधुंध खनन की वजह से कई खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। बैड लेवल काफी निचले स्तर तक चला जाएगा। खनन की वजह से तटीकरण का लांचिंग एप्रन गिर सकता है जिससे चैनेलाइजेशन को काफी नुकसान होगा। मैनुअल तौर पर ही खनन की अनुमति होनी चाहिए। मैकेनिकल माइनिंग पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए।

- राजिंद्र चड्ढा, एस.ई., बाढ़ नियंत्रण प्रोजैक्ट ऊना

निश्चित रूप से माइनिंग की वजह से वाटर लेवल नीचे जा रहा है। एक तो चैनेलाइजेशन की वजह से पानी लगातार बह रहा है और यह भू-जल स्तर में इजाफा नहीं कर रहा है। जब पानी फैलता था तो इससे ग्राऊंड वाटर रिचार्ज होता था लेकिन अब यह दिक्कत हो रही है। साइंटिफिक ढंग से ही माइनिंग होनी चाहिए।

- डा. एस.के. शर्मा, एस.ई., आई.पी.एच. विभाग ऊना

ऊना : स्वां नदी के किनारे लगा पहाड़नुमा रेत का डम्प। (सुरेन्द्र)

रेत-बजरी के लगाए पहाड़नुमा डंप

स्वां नदी के बीच खनन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके दोनों तटों पर रेत के बड़े-बड़े पहाड़नुमा डम्प बना दिए गए हैं। लीज नियम कहते हैं कि कोई भी लीज होल्डर रेत और बजरी के डम्प नहीं लगा सकता है। जे.सी.बी. के जरिए माइनिंग नहीं हो सकती है। मैकेनिकल माइनिंग हालांकि पूरी तरह से बैन है परन्तु बावजूद इसके मशीनें लगातार दनदना रही हैं।

पुलों के नीचे हो रही माइनिंग

न तो स्वां नदी पर बने पुल सुरक्षित हैं और न ही नदी के दोनों तरफ के तटबांध सुरक्षित हैं। ग्राऊंड रिपोर्ट यह है कि मशीनों, ट्रैक्टरों व टिप्परों की लगातार दनदनाहट की वजह से तटबांध खतरे में हैं। लांचिंग एप्रन गिरने की कगार पर है। हालत यह है कि रात के अंधेरे में पुलों के नीचे माइनिंग की जा रही है। नियमों के तहत किसी भी तटबांध के नजदीक, पुलों के आसपास और किसी भी प्रकार की सिंचाई एवं पेयजल योजना के नजदीक खनन नहीं हो सकता है। नियमों को दरकिनार कर जिला में रात के अंधेरे में रेत व बजरी को यहां से उठाया जा रहा है।

स्वां का वाटर लेवल जा रहा नीचे

स्वां नदी का रेत भले ही कुछ लोगों के लिए सोने की खान हो लेकिन इसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे। स्वां नदी का वाटर लेवल खनन की वजह से लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे ट्यूबवैल जो नदी के आसपास स्थापित किए गए हैं उनमें भी वाटर लेवल काफी नीचे खिसका है। किसानों की मानें तो उन्हें आने वाले दिनों में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा।

पंजाब की तरफ रवाना किए जा रहे टिप्पर

स्थिति विकराल है। ऊना से संतोषगढ़ के बीच जगह-जगह रेत के डम्प लगे हुए हैं। जालंधर, नंगड़ा, फतेहपुर व पेखूबेला सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां दिन-रात जे.सी.बी. स्वां नदी का सीना छलनी कर रही है। बाद में रेत को सड़कों के किनारे डम्प कर लगाया जा रहा है। यहीं से बड़े-बड़े टिप्परों, ट्रालों व पोकलेन ट्रकों को भरकर उन्हें पंजाब की तरफ रवाना किया जा रहा है। रात्रि के समय कोई वाहन इस सड़क पर सुरक्षित नहीं निकल सकता है। सड़क के आसपास रहने वाले लोग भी ऐसे ओवरलोड टिप्परों व ट्रकों से बेहद परेशान हैं।

नियमों का नहीं हो रहा पालन

दिक्कत तो यह है कि इस रेत का अंधाधुंध दोहन कहीं पर्यावरण के लिए भारी न पड़ जाए। हालत अभी खराब है। स्वां नदी के बीच बड़े-बड़े कुएं बना दिए गए हैं। बरसात पड़ती है तो कुछ लोग सड़कों पर रेकी करते हैं। ज्यों ही कोई अथॉरिटी उस तरफ जाती है तो मशीनों से उस जगह को समतल कर दिया जाता है। हालांकि माइनिंग विभाग ने यहां लीज की अनुमति तो दी है परन्तु लीज नियमों का पालन नहीं हो रहा है।

खनन जारी रहा तो सूख जाएंगे ट्यूबवैल

जिला के अग्रणी किसान नरेश शर्मा कहते हैं कि यदि इसी प्रकार से खनन गतिविधियां जारी रहीं तो उनके द्वारा लगाए गए ट्यूबवैल सूख जाएंगे। अभी उनमें पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। किसानों के लिए यह बड़ी चिंता है। खनन पर सख्ती से नियम लागू किए जाने चाहिएं। लीज देते समय उसका कड़ाई से पालन करने का शपथ पत्र भी लेना चाहिए।

Scanned with CamScanner

ऊना केसरी

अवैध खनन : 'अवैज्ञानिक ढंग से छलनी हो रही स्वां नदी'

Scanned with CamScanner